का0आ0सं0:- भवन 13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-09/2021............दिनांक

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

संवेदक, बब्लू कुमार भगत, ए०डी०बी० चौक, अररिया, पिन 854311 द्वारा किशनगंज जिलान्तर्गत 100 आसन क्षमता वाले नये अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास भवन, तुलसिया (किशनगंज) के निर्माण कार्य के निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया, जिसके कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा संवेदक को दोषी मानते हुये अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के निहित प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गयी, तत्पश्चात् अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव के पत्रांक 1057(भ) दिनांक 18.02.2021 द्वारा संवेदक के निबंधन को आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षो के लिये निलंबित (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) किया गया ।

उक्त निर्णय/आदेश के खिलाफ संवेदक द्वारा विभागीय सचिव के समक्ष एक अपील आवेदन समर्पित किया गया । सचिव के द्वारा संवेदक के अपील आवेदन पर सुनवाई की गयी । सुनवाई के पश्चात् सचिव के द्वारा अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1057(भ०) दिनांक 18.02.2021 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखा जाता हैं तथा अपील को खारिज कर दिया गया ।

जिसके पश्चात् संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-20742 of 2021 दायर किया गया जिसमें दिनांक 11.02.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्नवत् आदेश दिया गया:

"For the reasons as stated above. the order passed by the Authorities as contained in order dated 18.02.2021 (Annexure-7) and order dated 19.03.2021 (Annexure-9) is not sustainable in the eye of law and are accordingly. quashd.

The case is remanded to respondent no.4 Engineer-in-Chief-cum-addl. Commissioner cum Special Secretary. Building Construction Department. Govt of Bihar. Patna. to pass a fresh speaking and reasoned order after considering the reply and assigning reasons to accept/reject the ground/ explanation furnished in replay filed the peririoner".

दिनांक 21.04.2022 को अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में इस पर विचार किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 1057(भ) दिनांक 18.02.2021 को रद्द किया जाता है।

ह०/

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव

Sec 13 Prakash

953

मुख्य महाप्रबंधक
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि. पटना
(5)

स्पीडपोस्ट | ज्ञापांक भवन 13/अभि०प्र०(नि०) 03 निलंबन/कालीकृत 09/2021..............पटना,दिनांक

प्रतिलिपिः संवेदक, बब्लू कुमार भगत, एन०डी०बी० चौक, अररिया, पिन 854311 के निबंधन सं० MD/BSEIDCL-209/2017(प्रथम श्रेणी)19.01.2017 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव

ज्ञापांक भवन 13/अभि०प्र०(नि०) 03 निलंबन/कालीकृत 09/2021..3164 (अ).पटना,दिनांक 4/5/22

प्रतिलिपिः सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव